द्वितीय या तृतीय अनुसूची में सम्मिलित अर्हताएं रखने वाले व्यक्तियों का नाम दर्ज किए जाने का अधिकार ।

15. (1) इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, द्वितीय या तृतीय अनुसूची में सम्मिलित कोई चिकित्सीय अर्हता होम्योपैथी के किसी राज्य-रजिस्टर में नाम दर्ज किए जाने के लिए पर्याप्त अर्हता होगी ।

(2) होम्योपैथी के ऐसे चिकित्सा व्यवसायी से, जो मान्यताप्राप्त चिकित्सीय अर्हता रखता है और होम्योपैथी के राज्य-रजिस्टर या केन्द्रीय-रजिस्टर में नाम दर्ज है, भिन्न कोई व्यक्ति,—

(क) सरकार में या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी द्वारा चलाई जा रही किसी संस्था में होम्योपैथी चिकित्सक के रूप में कोई पद या (किसी भी नाम से ज्ञात) कोई अन्य पद धारण नहीं करेगा ;

(ख) किसी राज्य में होम्योपैथी चिकित्सा का व्यवसाय नहीं करेगा ;

(ग) चिकित्सीय या योग्यता का प्रमाणपत्र या कोई अन्य प्रमाण-पत्र, जो सम्यक् रूप से अर्हित चिकित्सा व्यवसायी द्वारा हस्ताक्षरित और अधिप्रमाणित किए जाने के लिए किसी विधि द्वारा अपेक्षित है, हस्ता-क्षरित या अधिप्रमाणित करने का हकदार नहीं होगा ;

(घ) किसी मृत्यु-समीक्षा पर या किसी न्यायालय में होम्योपैथी से संबंधित किसी विषय पर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 45 के अधीन, विशेषज्ञ के रूप में साक्ष्य देने का हकदार नहीं होगा ।

(3) उपधारा (2) की किसी बात का,—

(क) होम्योपैथी के राज्य-रजिस्टर में नाम दर्ज होम्योपैथी के चिकित्सा व्यवसायी के किसी राज्य में, होम्योपैथी का चिकित्सा व्यवसाय करने के अधिकार पर केवल इस आधार पर प्रभाव नहीं पड़ेगा कि इस अधिनियम के प्रारम्भ पर वह मान्यताप्राप्त चिकित्सीय अर्हता नहीं रखता था ;

(ख) होम्योपैथी के राज्य-रजिस्टर में नाम दर्ज किसी होम्योपैथी के चिकित्सा व्यवसायी को किसी राज्य में तत्समय प्रवृत होम्योपैथी के चिकित्सा व्यवसायियों के रजिस्ट्रीकरण संबंधी किसी विधि द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त विशेषाधिकारों पर (जिनके अन्तर्गत होम्योपैथी का चिकित्सा व्यवसाय करने का अधिकार भी है) प्रभाव नहीं पड़ेगा ;

(ग) किसी ऐसे राज्य में, जिसमें इस अधिनियम के प्रारम्भ पर होम्योपैथी का राज्य-रजिस्टर नहीं रखा जाता है, होम्योपैथी का चिकित्सा व्यवसाय करने के किसी व्यक्ति के अधिकार पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, यदि ऐसे प्रारम्भ पर वह पांच से अन्यून वर्षों तक होम्योपैथी का चिकित्सा व्यवसाय करता रहा है ;

(घ) भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956, या भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 द्वारा या उनके अधीन, ऐसे व्यक्तियों को, जो उक्त अधिनियमों की अनुसूचियों में सम्मिलित कोई अर्हताएं रखते हैं, प्रदत्त अधिकारों पर (जिनके अन्तर्गत उक्त अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (च) में यथापरिभाषित चिकित्सा व्यवसाय करने का अधिकार भी है) प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(4) कोई व्यक्ति जो उपधारा (2) के किसी उपबन्ध के उल्लंघन में कार्य करेगा वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।